न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

रामगोपाल वगैरह बनाम सरकार

मु. नं. - 65/2024

12/7/24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. अन्य कार्य में व्यस्त

पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी/जवाब~~............

दिनांक 30/7/24 को पेश हो

30/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने आदेश के रूप में भी प्रार्थीगण प्रमाण लीड की पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी को फैसला सरकार की बहस सुनी गई। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा. का. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

[illegible] 30/7/2024

पत्रावली बाद तकमील अमलदरामद होकर नक्शा में काटे तथा बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

[illegible] रामगढ़ जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
65 / 2024	30 / 04 / 2024	30 / 07 / 2024

1. रामगोपाल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा
2. रोशन मीणा पुत्र श्री रामफूल मीणा

निवासी ग्राम सानकोटडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज0)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामजीलाल मीना – वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् राजस्व, रिकार्ड में नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131,132, 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री रामजीलाल के यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्राथी राजस्व, रिकार्ड में नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सानकोटडा में प्रार्थीयो की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 78 रकाब 1.6400है0 भूमि ग्राम सानकोटडा, तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण का नाम रामगोपाल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा व रोशन मीणा पुत्र श्री रामफुल मीणा निवासी ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी, राजस्थान है। जिसका जमाबन्दी के राजस्व रिकार्ड मे गोपाल पुत्र लछमन व नाबालिग कालूराम पुत्र रामफुल अंकित कर दिया गया है, जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलत से गलत अंकन कर दिया गया है, जिसको दुरस्त कर प्रार्थी की वोटर आईडी कार्ड, जनआधार कार्ड तथा पैन कार्ड तथा बैंक पासबुक तथा आधार कार्ड एवं मूलनिवास प्रमाण पत्र सहित समस्त दस्तावेजों मे रामगोपाल मीणा पुत्र लक्ष्मण मीणा व रोशन मीणा पुत्र श्री रामफुल मीणा ही अंकित चला आ रहा है। जो कि सही है। उक्त खसरा नम्बरों में दर्ज गोपाल पुत्र लछमन व नाबालिग कालूराम पुत्र रामफुल को दुरस्त किया जावें तथा रोशन मीणा बालिंग हो चुका है तथा जमाबन्दी मे नाबालिग का नोट हटाकर बालिग किया जावें। अतः उक्त खसरा नम्बरों में दर्ज गोपाल पुत्र लछमन व नाबालिग कालूराम पुत्र रामफुल को दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /आर.टी./2024/460 दिनांक 15.05.24 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सानकोटडा के आराजी कृषि आराजी भूमि में खसरा नम्बर 78 रकबा 1.64है0 में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयों का नाम कालूराम पुत्र रामफूल व गोपाल पुत्र लछमन जाति मीना है। प्रार्थीयों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार व राशन कार्ड मे नाम रामगोपाल पुत्र लक्ष्मण तथा रोशन पुत्र रामफूल है जबकि राजस्व रिकार्ड में गोपाल पुत्र लक्ष्मण व भोलूराम पुत्र रामफूल है। वादीगणों का नाम राजस्व रिकार्ड में गोपाल पुत्र लक्ष्मण व कालूराम पुत्र रामफूल है जबकि प्रार्थीयों के दस्तावेजों में रामगोपाल पुत्र लक्ष्मण व रोशन पुत्र रामफूल है। प्रार्थीयों के दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीयों का नाम राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

रिकार्ड मे गोपाल पुत्र लक्ष्मण व कालूराम पुत्र रामफूल है तथा प्रार्थीयों के दस्तावेजों में रामगोपाल पुत्र लक्ष्मण व रोशन पुत्र रामफूल है। अतः गोपाल पुत्र लक्ष्मण को रामगोपाल पुत्र लक्ष्मण व कालूराम पुत्र रामफूल को रोशन पुत्र रामफूल किया जाना उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम सानकोटडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण, राजस्थान में स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 1.64है0 को मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गोपाल पुत्र लक्ष्मण के बजाय गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र लक्ष्मण व कालूराम पुत्र रामफूल के बजाय कालूराम उर्फ रोशन पुत्र रामफूल दर्ज कर दुरूस्त किया जावें। खातेदारों का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़